कृषि रोड मैप की प्रमुख उपलब्धियाँ

विषय-सूची

क्र0सं0	विभाग	पृष्ठ संख्या
1.	कृषि विभाग	01—15
2.	पशु एवं मत्स्य संसाधन	16—18
3.	सहकारिता	19—20
4.	उद्योग विभाग	21
5.	लघु जल संसाधन	22
6.	जल संसाधन	23
7.	ऊर्जा विभाग	24
8.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	25—27
9.	राजस्व एवं भूमि सुधार	28—29
10.	ग्रामीण कार्य	29
11.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	29
12.	गन्ना उद्योग	30

प्रस्तावना

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। उपजाऊ जमीन एवं सिंचाई के पानी की उपलब्धता तथा मेहनती किसान को दृष्टिगत रखते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ० अब्दुल कलाम के द्वारा कृषि को बिहार का "कोर कॉम्पिटेंस" कहा गया। राष्ट्रीय किसान आयोग के द्वारा पूर्वी राज्यों विशेषकर बिहार में कृषि क्षेत्र के त्वरित विकास को देश की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। कृषि गणना (वर्ष 2015–16) के अनुसार राज्य में कुल जोत की संख्या में 91.21 प्रतिशत सीमान्त जोत है, जिनके जोत का आकार 01 हेक्टेयर से कम है। वर्ष 2020–21 में राज्य के भूमि उपयोगिता विवरणी के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र 93.6 लाख हेक्टेयर में से 50.45 लाख हेक्टेयर शुद्ध कृषि क्षेत्र तथा 72.46 लाख हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र है। राज्य में फसल सघनता 144 प्रतिशत है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 के अनुसार राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 19 प्रतिशत है।

कृषि रोड मैप – कृषि में समेकित विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर योजनायें चलाई जा रही हैं। 17 फरवरी, 2008 को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में किसान पंचायत के आयोजन से, कृषि रोड मैप बनाकर कृषि के समेकित विकास की शुरूआत हुई। इसके बाद वर्ष 2008 से 2012 तक पहला कृषि रोड मैप, 2012 से 2017 तक दूसरा कृषि रोड मैप और 2017 से 2023 तक के लिए तीसरा कृषि रोड मैप बनाकर राज्य सरकार इन्द्रधनुषी क्रांति लाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

कृषि रोड मैप के तहत तीव्र गति से योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कृषि एवं सम्बद्ध 12 विभागों को एक साथ जोड़ा गया। एक साथ विकास का दृष्टिकोण, रणनीति एवं कार्यक्रमों का प्रमाणिक दस्तावेज तैयार किया गया। कृषि विकास के लिए इस प्रकार का दस्तावेज तैयार करनेवाला बिहार पहला राज्य बना। बिहार, 2011 में कृषि मंत्रिपरिषदीय समिति (कृषि कैबिनेट) बनाने वाला पहला राज्य बना।

क्रमबद्ध तरीके से हर कृषि रोड मैप का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रथम कृषि रोड मैप में जहाँ गुणवत्तापूर्ण बीज, नए कृषि यंत्र, हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट तथा कृषि के नए तकनीक को प्राथमिकता दी गई, वहीं दूसरे कृषि रोड मैप का व्यापक विजन रखा गया – प्रत्येक भारतीय के थाली में बिहार का एक व्यंजन।

प्रथम कृषि रोड मैप की उपलब्धियों से उत्साह बढ़ने के फलस्वरूप दूसरे कृषि रोड मैप को व्यापक बनाया गया। इसमें कृषि, पशुपालन, सहकारिता के साथ–साथ सिंचाई, बिजली, विपणन, भंडारण एवं प्रसंस्करण, भूमि प्रबंधन, संपर्क पथ, वृक्षारोपण से संबंधित 12 विभागों को कार्यक्रम में शामिल किया गया। दूसरे कृषि रोड मैप का शुभारम्भ 3 अक्टूबर, 2012 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया।

तीसरे कृषि रोड मैप के प्रारूप पर 16 जून, 2017 को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किसान समागम का आयोजन किया गया। 09 नवम्बर, 2017 को तीसरे कृषि रोड मैप का शुभारम्भ माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया।

उक्त पृष्ठभूमि में राज्य में कृषि क्षेत्र के सर्वांगीन विकास के लिए वर्ष 2008 से 2012 तक पहले कृषि रोड मैप, वर्ष 2012 से 2017 तक दूसरे कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन किया गया है तथा वर्ष 2017 से 2022 तक के लिए तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन किया गया। राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की अवधि 31.03. 2023 तक विस्तारित की गयी। कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप निम्न उपलब्धियाँ अर्जित की गयी हैं,

1. कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2011–12 में चावल, वर्ष 2012–13 में गेहूँ, वर्ष 2015–16 में मोटे अनाज (मक्का), वर्ष 2016–17 में मोटे अनाज (मक्का) तथा वर्ष 2017–18 में गेहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल पाँच **"कृषि कर्मण पुरस्कार"** दिया गया है। राज्य सरकार के प्रयासों से बिहार के छः कृषि धरोहरों **कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखाना तथा मर्चा धान** को भौगोलिक सूचकांक (जी.आई. पंजीकरण) मिल चुका है।

1.1 **फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि** –कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि हुई है। विवरण निम्न प्रकार है,

- **गेहूँ** –वर्ष 2007–08 में गेहूँ का उत्पादकता 23.35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर 30.78 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। कृषि रोड मैप के पूर्व 05 वर्षों (वर्ष 2003–04 से 2007–08) में गेहूँ की औसत उत्पादकता 18.29 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर तीसरे कृषि रोड मैप के अंतिम 05 वर्षों (वर्ष 2017–18 से 2021–22) में गेहूँ की औसत उत्पादकता 28.89 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। इसी अवधि में गेहूँ का औसत उत्पादन 37.97 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 62.82 लाख मीट्रिक टन हो गया।

- **मक्का** –वर्ष 2007–08 में मक्का का उत्पादकता 27.39 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर 52.36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया।कृषि रोड मैप के पूर्व 05 वर्षों (वर्ष 2003–04 से 2007–08) में मक्का की औसत उत्पादकता 25.04 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर तीसरे कृषि रोड मैप के अंतिम 05 वर्षों (वर्ष 2017–18 से 2021–22) में मक्का की औसत उत्पादकता 50.26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। इसी अवधि में मक्का का औसत उत्पादन 15.97

लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 33.72 लाख मीट्रिक टन हो गया। बिहार में रबी मक्का की उत्पादकता वर्ष 2021—22 में 71.80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था, जो देश में सबसे अधिक है।

- **चावल** —वर्ष 2007—08 में चावल का उत्पादकता 12.37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था जो वर्ष 2021—22 में बढ़कर 24.96 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। कृषि रोड मैप के लागू होने के फलस्वरूप चावल की औसत उत्पादकता दोगुनी हो गयी है। विगत 10 वर्षों में जलवायु परिवर्तन से राज्य की कृषि विशेषकर खरीफ फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके बावजूद कृषि रोड मैप के पूर्व 05 वर्षों (वर्ष 2003—04 से 2007—08) में चावल की औसत उत्पादकता 13.05 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर तीसरे कृषि रोड मैप के अंतिम 05 वर्षों (वर्ष 2017—18 से 2021—22) में चावल की औसत उत्पादकता 22.74 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। इसी अवधि में चावल का औसत उत्पादन 42.66 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 71.31 लाख मीट्रिक टन हो गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि रोड मैप के पूर्व की अवधि में एक विषम कृषि वर्ष में चावल का न्यूनतम उत्पादन 26.25 लाख मीट्रिक टन था, जबकि कृषि रोड मैप के अंतिम 05 वर्षों में चावल का न्यूनतम वार्षिक उत्पादन 61.55 लाख मीट्रिक टन था।

- इसी प्रकार फल एवं सब्जी के उत्पादन तथा उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है,

फसल	कृषि रोड मैप के पूर्व की उपलब्धि		तृतीय कृषि रोड मैप के बाद की उपलब्धि	
	उत्पादन (लाख मे० टन)	उत्पादकता (क्विं०/हे०)	उत्पादन (लाख मे० टन)	उत्पादकता (क्विं०/हे०)
फल	32.28	112.90	45.36	136.90
सब्जी	101.03	159.40	169.25	194.60

कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि तकनीक के विस्तार के फलस्वरूप प्रतिकूल कृषि मौसम में भी किसान प्रतिकूलताओं को बेहतर तरीके से समाधान कर रहे हैं।

1.2 **जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम** — बदलते मौसम के अनुसार फसल पद्धति में बदलाव लाने के लिए वर्ष 2019 में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरूआत 08 जिलों से की गयी। वर्ष 2020 में इस योजना का विस्तार सभी 38 जिलों में किया गया। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का निर्माण एवं कार्यान्वयन राज्य के कृषि से संबंधित शिक्षा एवं शोध संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। 38 जिलों में से जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम 18 जिलों में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, 11 जिलों में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, 07 जिलों में बोरलॉग इन्स्टीच्यूट फॉर साउथ एशिया, पूसा तथा 02 जिलों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पूर्वी क्षेत्र, पटना के द्वारा लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के 190 गाँवों को **मौसम के अनुकूल मॉडल कृषि गाँव** के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिला स्तर पर इस योजना में वैज्ञानिक सहयोग जिला स्तरीय कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा दिया जा रहा है। प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रक्षेत्र में 2.5 एकड़ जमीन मौसम अनुकूल कृषि तकनीक के प्रत्यक्षण एवं प्रायोगिक ट्रायल के लिए अगले 50 वर्षों तक कर्णांकित किया गया है। जलवायु/मौसम अनुकूल कृषि कार्यक्रम को स्थायी रूप से चलाया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के तहत निम्न प्रमुख कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है,

- मौसम के अनुकूल फसल, फसल प्रभेद तथा फसल पद्धति का उपयोग।
- उच्च गुणवत्ता के बीज का उपयोग।
- बिना खेत को जोते वैकल्पिक विधि से फसलों के बीज की बुआई।
- खेत में फसल अवशेष का प्रबंधन।
- खेत के बाहर फसल अवशेष का प्रबंधन।
- भूमि का समतलीकरण के लिए लेजर लैण्ड लेभलिंग का उपयोग।

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्न प्रकार है,

✓ 2.67 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

✓ 1.47 लाख एकड़ में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का प्रत्यक्षण आयोजित किया गया,

✓ 9500 एकड़ में लेजर लैण्ड लेभलिंग की गयी।

✓ 1886 टन धान के पुआल का बंडल बनाया गया। पुआल बंडल का उपयोग पशु चारा के रूप में कॉम्फेड के द्वारा किया गया।

✓ 1885 एकड़ में वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग किया गया।

✓ 636 टन बायोचार का उत्पादन किया गया।

✓ धान की खेती में उत्पादन लागत 5640 रू० प्रति हेक्टेयर तक की कमी आयी।

✓ परियोजना गाँव में फसल चक्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। धान, गेहूँ के अतिरिक्त किसान पोषक अनाज, दलहन एवं तेलहन की खेती को अपना रहे हैं। इसके फलस्वरूप फसल विविधीकरण बढ़ रहा है।

✓ फसल चक्र में मूँग का प्रचलन बढ़ा है, जिससे फसल सघनता बढ़ी है।

✓ टर्मिनल हीट से बचाव के लिए नवम्बर माह में गेहूँ की बुआई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 2022 के रबी मौसम में नवम्बर माह में 72 प्रतिशत गेहूँ की बुआई सुनिश्चित करायी गयी तथा 10 दिसम्बर तक 93 प्रतिशत गेहूँ की बुआई सुनिश्चित हो चुकी थी। 18 दिसम्बर तक शत प्रतिशत गेहूँ की बुआई सुनिश्चित की गयी।

✓ जलवायु अनुकूल कृषि गाँवों में धान–गेहूँ आधारित फसल पद्धति की औसत उत्पादकता 97.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है, जबकि राज्य का औसत उत्पादकता 54 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह धान–मक्का आधारित फसल पद्धति की औसत उत्पादकता 128 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि राज्य का औसत 76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

मौसम	तकनीकी प्रत्यक्षण का रकबा (एकड़)
रबी, 2019–20	1430
गरमा 2020	375
खरीफ 2020	2996
रबी 2020–21	23710
गरमा 2021	13045
खरीफ 2021	22975
रबी 2021–22	24098
गरमा 2022	11880
खरीफ 2022	22901
रबी 2022–23	23600
कुल	**147010**

1.3 जैविक खेती – राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य जैविक मिशन का गठन किया गया है। जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गयी, जो राज्य के किसानों को जैविक प्रमाणीकरण की सुविधा निःशुल्क प्रदान कर रही है। कृषि रोड मैप के अधीन जैविक उपादानों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पक्का वर्मी कम्पोस्ट, जैव उर्वरक, हरी खाद की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया है। कृषि रोड मैप के अधीन गंगा नदी की स्वच्छता के लिए गंगा नदी के किनारे 13 जिलों को मिलाकर एक "जैविक कॉरिडोर" की स्थापना की गयी है। इसके तहत वर्ष 2022 में 186 किसान उत्पादक संगठन के 17291 किसानों को 17229 एकड़ रकबा में जैविक प्रमाणीकरण का सी.2 प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ है।

1.4 बीज – आधुनिक खेती में बीज का महत्वपूर्ण योगदान है। गुणवत्तापूर्ण बीज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि रोड मैप के अधीन कई महत्वाकांक्षी योजनायें चलायी गयीं। विगत वर्षों में राज्य में निम्न प्रकार से गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है, (बीज की मात्रा क्विंटल में),

वर्ष	धान	गेहूँ	दलहन	तेलहन	मक्का
2008–09	267620	570027	13340	3225	121060
2009–10	373036	580720	16790	3480	131170
2010–11	232669	612500	17368	2410	125635
2011–12	349085	783150	21735	2890	103596
2012–13	279698	829900	33795	33795	176300

वर्ष	धान	गेहूँ	दलहन	तेलहन	मक्का
2013–14	263874	817160	14463	2645	158000
2014–15	245089	728314	13971	3065	108290
2015–16	273961	616392	11060	2277	79704
2016–17	317544	465156	12129	4441	120736
2017–18	319075	674097	13482	1673	85870
2018–19	320985	753516	37901	4380	82700
2019–20	297651	976187	34199	2441	100467
2020–21	381451	1022546	22193	4033	105720
2021–22	387153	1029127	59460	11155	127141
2022–23	400164	1032703	67246	12451	134161

राज्य सरकार द्वारा किसानों के घर तक बीज पहुँचाने (होम डिलिवरी) के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विगत वर्षों में इस अभियान के तहत निम्न प्रकार से बीज किसानों को घर तक उपलब्ध कराया गया हैः–

(बीज की मात्रा क्विंटल में)

वर्ष	धान	गेहूँ	दलहन	तेलहन	मक्का
2019–20	0	7420	737	19	18
2020–21	3600	37676	2410	36	40
2021–22	26094	56663	11132	608	188
2022–23	17827	66551	18348	263	323

कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप विभिन्न फसलों के **बीज विस्थापन दर** में निम्न प्रकार से वृद्धि हुई हैः–

(बीज विस्थापन दर प्रतिशत में)

वर्ष	धान	गेहूँ	दलहन	तेलहन	मक्का
2008–09	19	24	6	55	78
2009–10	26	25	9	54	68
2010–11	27	29	13	46	81
2011–12	38	35	11	47	100

वर्ष	धान	गेहूँ	दलहन	तेलहन	मक्का
2012–13	40	35	11	79	85
2013–14	41	36	11	40	85
2014–15	39	36	14	49	90
2015–16	39	27	5	36	81
2016–17	43	20	6	59	87
2017–18	41	31	10	32	86
2018–19	40	29	12	60	87
2019–20	46	43	19	35	99
2020–21	49	44	11	54	100
2021–22	49	44	26	75	100
2022–23	50	41	25	93	100

- **बीज उत्पादन के क्षेत्र में विस्तार–** कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में बीज उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है तथा राज्य बीज उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है।

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य (हेक्टेयर)	उपलब्धि (हेक्टेयर)	उत्पादन (क्विंटल)
1	2005–06	5000	2473	29711
2	2006–07	6000	5280	70737
1	2007–08	6000	10973	148042
2	2008–09	8000	10421	176365
3	2009–10	10000	12943	207655
4	2010–11	12000	19979	257714
5	2011–12	18500	28582	355827
6	2012–13	22000	25222	281694
7	2013–14	23000	28677	325852
9	2015–16	30500	35794	263328
10	2016–17	33000	21530	296260
11	2017–18	34500	25771	264568
12	2018–19	42000	16602	250543
13	2019–20	50400	21675	282626
14	2020–21	35000	22191	406178
8	2014–15	29000	34751	514878

1.5 कृषि यांत्रिकरण– राज्य में कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। विभिन्न वर्षों में कृषि यांत्रिकरण योजना के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराये गये कृषि यंत्रों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	भौतिक (यंत्रों की संख्या)	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1	2007–08	31784	48956
2	2008–09	86911	105956
3	2009–10	103589	307533
4	2010–11	120684	292708
5	2011–12	287157	279429
6	2012–13	863297	663984
7	2013–14	554914	501726
8	2014–15	259743	153572
9	2015–16	माँग आधारित	182522
10	2016–17	माँग आधारित	76219
11	2017–18	माँग आधारित	74537
12	2018–19	माँग आधारित	58906
13	2019–20	माँग आधारित	29000
14	2020–21	माँग आधारित	2877
	कुल		**2777925**

राज्य सरकार के कृषि यांत्रिकरण योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में **फार्म पावर की उपलब्धता** में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2021–22 में राज्य में फार्म पावर की उपलब्धता 3.21 किलोवाट प्रति हेक्टेयर था, जो पंजाब (6.01 किलोवाट प्रति हेक्टेयर), हरियाणा (5.50 किलोवाट प्रति हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (3.48 किलोवाट प्रति हेक्टेयर), तमिलनाडु (3.46 किलोवाट प्रति हेक्टेयर) के बाद देश में सबसे अधिक है।

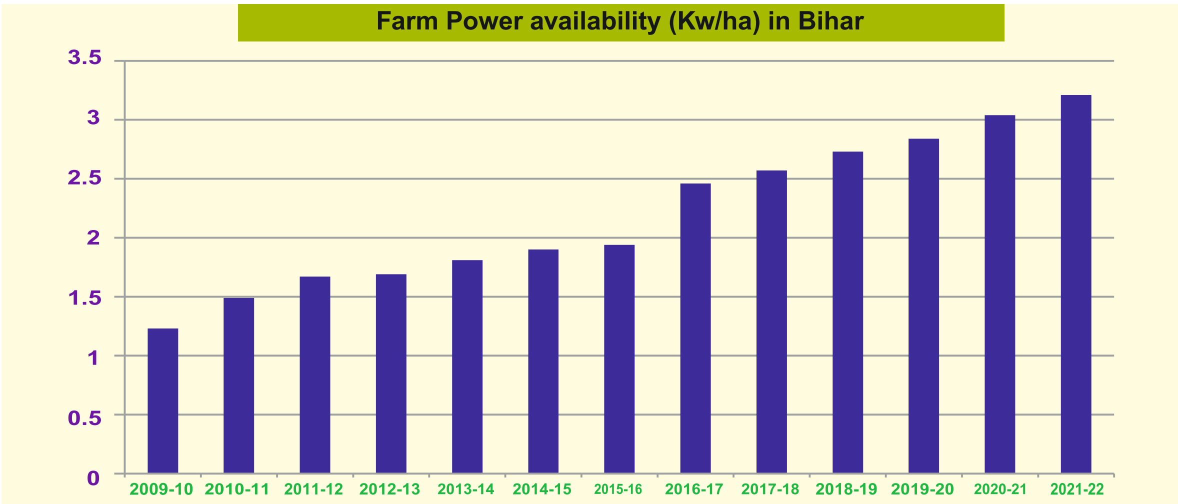

1.6 कृषि में डिजिटल तकनीक का उपयोग–

- **किसानों का आधार से आधारित पंजीकरण** – कृषि विभाग के द्वारा आधार से प्रमाणित किसानों के पंजीकरण की व्यवस्था की गयी। इसके तहत 1.90 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। पंजीकृत किसानों का विवरण निम्न प्रकार है,

क्र०	किसान	संख्या (लाख में)	प्रतिशत
1	महिला किसान	75.43	40
2	पुरूष किसान	115	60
3	रैय्यत किसान	114	60
4	गैर–रैय्यत किसान	76	33
6	सीमान्त किसान	37.08	20
7	लघु किसान	136	72
8	अन्य किसान	15.2	8

किसानों के पंजीकरण के उपरान्त विभिन्न योजनाओं में आधार आधारित बैंक खाते में सीधे राशि भेजी गयी। विवरण निम्न प्रकार है,

- **कृषि इनपुट अनुदान** के रूप में वर्ष 2018–19 में 14.33 लाख किसानों के खाते में 945 करोड़ रू०, वर्ष 2019–20 में 33.88 लाख किसानों को 1228 करोड़ रू०, वर्ष 2020–21 में 15.88 लाख किसानों को 650 करोड़ रू०, वर्ष 2021–22 में 16.96 लाख किसानों को 542 करोड़ रू० बैंक खाते में सहायता राशि भेजी गयी है।
- **डीजल अनुदान** मद में वर्ष 2018–19 में 15.66 लाख किसानों को 196.80 करोड़ रू०, वर्ष 2019–20 में 24.71 लाख किसानों को 310.57 करोड़ रू०, वर्ष 2022–23 में 9.98 लाख किसानों को 149.92 करोड़ रू० आर्थिक सहायता की राशि उपलब्ध करायी गयी है।
- राज्य में आधार से आधारित पंजीकरण की डिजिटल व्यवस्था के विकसित होने के फलस्वरूप राज्य के किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ सुलभता से मिल रहा है। इस योजना के तहत जनवरी, 2023 तक 86.33 लाख किसानों के बीच 15965 करोड़ रू० आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा गया है।
- कृषि विभाग के अधीन कृषि यांत्रिकरण के लिए किसानों का आवेदन से लेकर अनुदान वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया का डिजिटीकरण किया गया है। इसके लिए ऑनलाईन फॉर्म मैकेनाइजेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्यरत है।
- राज्य में बागवानी से संबंधित सभी योजनाओं के लिए किसानों से आवेदन प्राप्त करने से लेकर अनुदान भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया का डिजिटीकरण किया गया है।
- आधार से आधारित किसान पंजीकरण डाटाबेस को कृषि विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों यथा सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा भी किसानों को लाभ देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

- कृषि विभाग के अधीन विभिन्न संभागों के द्वारा डिजिटल एप्लीकेशन को एक डैशबोर्ड पर एकत्रित रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा बिल एवं मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन के सहयोग से "**बिहान ऐप**" विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से विभाग के अधीन विभिन्न प्रक्रियाओं का डिजिटीकरण किया गया है।

1.7 बागवानी– बिहार की अर्थव्यवस्था में बागवानी खासकर फल एवं सब्जियों की भूमिका अहम् साबित हो रही है। राज्य में कुल 13.31 लाख हे० बागवानी आच्छादन में फल एवं सब्जी का रकवा क्रमशः 3.64 लाख हे० एवं 9.11 लाख हे० है, जिसका उत्पादन क्रमशः 50.02 लाख मीट्रिक टन एवं 179.53 लाख मीट्रिक टन है।

बागवानी फसलों के लिए बिहार की मिट्टी एवं जलवायु अनुकूल होने के बावजूद भी Production Constraints, Technology Advancement की कमी, Marketing Constraints बागवानी के Holistic विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में चुनौतियाँ रही है। कृषि रोड मैप के तहत् बागवानी विकास के विभिन्न योजनाओं के लागू होने से बिहार में न केवल बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है बल्कि पोषण सुरक्षा, रोजगार सृजन, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य जैसे सतत् विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। कृषि रोड मैप के 15 वर्ष के सफर में गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण सामग्री फलों, सब्जियों, सगंधीय पौधों, फूल, मसाला, आदि फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं बागों के सुव्यवस्थित प्रबंधन के कारण बिहार में बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है।

फसल	कृषि रोड मैप के पूर्व की उपलब्धि		तृतीय कृषि रोड मैप का लक्ष्य		तृतीय कृषि रोड मैप के बाद की उपलब्धि	
	उत्पादन (लाख मे० टन)	उत्पादकता (क्विं०/हे०)	उत्पादन (लाख मे० टन)	उत्पादकता (क्विं०/हे०)	उत्पादन (लाख मे० टन)	उत्पादकता (क्विं०/हे०)
फल	32.28	112.90	60	173.90	45.36	136.90
सब्जी	101.03	159.40	252.08	232.70	169.25	194.60

बागवानी के क्षेत्र में बिहार के कृषकों के द्वारा उच्च मूल्य वाले फूल एवं सब्जी की संरक्षित खेती, Exotic फल की व्यावसायिक खेती, मधुमक्खीपालन, सूक्ष्म सिंचाई आधारित फल एवं सब्जी की खेती, मधुमक्खीपालन, मशरूम उत्पादन, फलों एवं सब्जियों की जैविक खेती आदि बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

- **टिश्यू कल्चर तकनीक : बिहार में केले के उत्पादन में वृद्धि।**

बिहार के किसान केले की खेती में टिश्यू कल्चर पौधे का प्रयोग कर अधिक उत्पादन एवं बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। 2005–06 में बिहार में मात्र 28 हजार हेक्टेयर में कुछ सीमित जिलों यथा वैशाली, भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ आदि में केले की खेती की जाती थी। पौध रोपण सामग्री के रूप में केला का सकर का प्रयोग किया जाता था। फलतः बिहार में केला का उत्पादन मात्र 9.20 लाख मीट्रिक टन था। 2005–06 से राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मुख्यमंत्री बागवानी

मिशन के संचालन के फलस्वरूप इस योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों को पचास प्रतिशत के अनुदान दर पर केले का टिश्यू कल्चर पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनश्चित की गई एवं इसके उपयोग हेतु कृषकों में जागृति लायी गयी। फलस्वरूप वर्तमान में बिहार में केला के कुल रकवा का करीब 80 प्रतिशत रकवा में कृषक टिश्यू कल्चर केला के पौध रोपण सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक मल्चिंग एवं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के प्रयोग से बंपर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। विगत 15 वर्षों में केला के रकवा, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि निम्न तालिका के माध्यम से दर्शायी गई है :–

मद	2005–06	2019–20
केला का रकवा (हे०)	27988	42961
केला का उत्पादन (मे० टन)	920044	1979587
केला का उत्पादकता (मे० टन/हे०)	32.87	46

- **मीठी क्रांति–मधुमक्खीपालन**
  कृषि एवं भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए आमदनी और रोजगार के साथ–साथ गुणवत्तायुक्त फसलों के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से मधुमक्खीपालन एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। 10–15 वर्ष पूर्व बिहार के मुख्य रूप से उत्तरी भाग में कुछ कृषकों द्वारा ही मधुमक्खीपालन का कार्य किया जा रहा था, फलस्वरूप शहद का उत्पादन काफी कम था, और बिहारवासी शहद का उपयोग मुख्य रूप से नवजात शिशुओं के लिए दवा के रूप में किया करते थे। बागवानी विकास हेतु सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के तहत् प्रत्येक वर्ष 20,000–1,00,000 मधुमक्खी बक्सा छत्ता सहित अनुदानित दर पर किसानों के बीच वितरण किया जाता है तथा शहद उत्पादन पर प्रशिक्षण के आयोजन के फलस्वरूप आज बिहार के सभी 38 जिलों में शहद का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, और वर्त्तमान समय में जीविका महिला समूह द्वारा मधुमक्खी पालन का कार्य बढ़–चढ़कर किया जा रहा है। बिहार में मुजफ्फरपुर (9000 MT), पूर्वी चम्पारण एवं बेगूसराय (2500 MT) तथा वैशाली (1305 MT) शहद उत्पादन में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है। वर्त्तमान में शहद का कुल उत्पादन 20477.64 MT है, जो शहद उत्पादन के क्षेत्र में बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान पर अंकित करता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ इसके विपणन एवं मूल्य संवर्द्धन के क्षेत्र में भी कार्य प्रारंभ किया गया है। इस हेतु बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 के तहत् अनेक लोग जुड़ रहे हैं।

- **मशरूम** –बिहार में मशरूम उत्पादन जीविकोपार्जन के साधन से सफर शुरू कर आज व्यापार का रूप ले लिया है। मशरूम इंसानी सेहत का एक बेहतरीन स्रोत है। पोषण सुरक्षा एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से कतिपय योजनायें चलायी जा रही हैं। वर्ष 2021–22 में कुल 28,000 मे० टन मशरूम उत्पादन के साथ देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है जो कि देश में उत्पादित कुल मशरूम उत्पादन का 10.82 प्रतिशत है। बागवानी योजनान्तर्गत मशरूम उत्पादन

इकाई, कम्पोस्ट उत्पादन इकाई एवं स्पॉन उत्पादन इकाई के लिए कुल अनुदान दर 50 प्रतिशत पर कार्यक्रम का लाभ कृषकों को दिया जा रहा है। कृषक वातानुकूलित कमरे में वर्षभर मशरूम का उत्पादन कर रहे है। भूमिहीन कृषक विशेषकर महिलाओं को कार्यक्रम से जोड़ने के लिए 90 प्रतिशत अनुदान दर पर जाड़े के मौसम में मशरूम स्पॉन कम्पोस्ट कीट का वितरण किया जा रहा है। विशेष योजना के तहत झोपड़ी में मशरूम उत्पादन को भी 50 प्रतिशत अनुदान के साथ प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषक ठंडे मौसम के साथ कुछ अधिक अवधि तक ओयस्टर एवं बटन मशरूम उत्पादन कर रहे है। योजनान्तर्गत लाभ देने के पूर्व आवेदकों को कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, आत्मा आदि संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। मशरूम व्यवसाय से हो रहे आकर्षक आमदनी के कारण आज बिहार में करीब 60–70 हजार परिवार विशेषकर महिलायें इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाये हैं। गत 5 वर्षों में राज्य में करीब 35 मशरूम उत्पादन इकाई एवं 200 झोपड़ी की स्थापना तथा करीब 30 लाख मशरूम स्पॉन कम्पोस्ट कीट का वितरण किया गया है। मशरूम व्यवसाय न केवल पोषण सुरक्षा एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा है बल्कि महिला सशक्तीकरण के रूप में सामाजिक प्रभाव भी असरकारी रहा है। कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए युवकों के लिए जीविकोपार्जन का साधन बना।

- **मखाना**– बिहार दुनिया में मखाना का शीर्ष उत्पादक है साथ ही इस उत्पाद को मिथिला मखाना के नाम से जी.आई. टैग प्राप्त हुआ है। देश में उत्पादित होने वाले मखाना का लगभग 90 प्रतिशत बिहार में उत्पादित होता है। बिहार में विगत एक दशक में राज्य में मखाना क्षेत्र विस्तार में व्यापक वृद्धि दर्ज की गयी है । मखाना क्षेत्र में लगभग 171 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ वर्तमान में 35 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में मखाना का उत्पादन किया जा रहा है वहीं पॉप मखाना का उत्पादन वर्ष 2012 –13 में 9360 टन था जो बढ़ कर वर्तमान समय में लगभग 23500 टन हो गया है। बिहार के उत्तरी भाग में प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकायों की प्रचुरता के कारण, बिहार के आठ जिलों में व्यापक रूप से मखाना की खेती की जाती है, साथ ही राज्य में मखाना उत्पादन क्षेत्र के विस्तार के लिए एक आशाजनक अवसर भी है। इस दिशा में बिहार सरकार ने सराहनीय कदम उठाये हैं। कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही मखाना विकास योजना के तहत बिहार के 8 जिलों कटिहार, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णियाँ, सहरसा, अररिया और पश्चिमी चंपारण में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है साथ ही राज्य में मखाना –प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि–निवेश प्रोत्साहन नीति (बीएआईपीपी) के तहत कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा एक अनुकूल माहौल बनाया जा रहा है। राज्य में मखाना के नये प्रभेद, स्वर्ण वैदेही एवं सबौर मखाना–1 का विकास हुआ है, जिसका प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

- **सूक्ष्म सिंचाई**– जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत सात निश्चत के तहत सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एक महत्वपूर्ण अवयव है जिसे अपनाने से लगभग 60 प्रतिशत जल की बचत, 25–30 प्रतिशत उर्वरक की खपत में कमी, 30–35 प्रतिशत लागत में कमी तथा 25–35 प्रतिशत अधिक उत्पादन के साथ–साथ बेहतर गुणवत्ता का फसल उत्पादन किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में ड्रिप सिंचाई पद्धति यथा–ड्रिप, मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर के अतिरिक्त पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का अधिष्ठापन भी करवाया जा रहा है। सभी श्रेणी के कृषकों को व्यक्तिगत

रूप से ड्रिप सिंचाई पर 90 प्रतिशत एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर पर 55 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है। ड्रिप सिंचाई अंतर्गत अभी तक बिहार में लगभग 4336 किसानों द्वारा योजना का लाभ लिया गया है जिसका कुल रकवा 14,862 एकड़ है। सूक्ष्म सिंचाई अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के तुलना में वित्तीय वर्ष 2021–22 में यंत्र के अधिष्ठापित रकवा में 10 गुणा वृद्धि हो गई है। जिससे प्रतीत होता है कि कृषक सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपना रहे हैं। इसे और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने वाले न्यूनत्तम 5 लघु एवं सीमांत किसानों के समूह द्वारा कम–से–कम 6.25 एकड़ रकवा में यंत्र अधिष्ठापन करने पर जल स्रोत के सृजन हेतु अनुदान पर सामूहिक नलकूप (210 फीट गहराई तक) की व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत अभी तक 378 कृषक समूहों को योजना से लाभान्वित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 800 सामूहिक नलकूप अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणी के कृषकों के लिए ड्रिप सिंचाई यंत्र अधिष्ठापन हेतु ट्रेंचिंग पर होने वाले व्यय पर भी अनुदान की व्यवस्था है।

- **सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस**
  बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट तकनीकी के प्रत्यक्षण एवं कृषक तक पहुँचाने हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजीटेबुल, चंडी, नालन्दा एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, देसरी, वैशाली की स्थापना विभाग के द्वारा की गयी है। उक्त सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा मुख्यतः फल एवं सब्जी के गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण सामग्री के उत्पादन एवं आपूर्त्ति, उत्कृष्ट तकनीकी के प्रत्यक्षण तथा प्रशिक्षण की सेवा प्रदान की जाती है। उक्त दोनों केन्द्रों की 2019–20 से अद्यतन उपलब्धि निम्न प्रकार है :–

सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस	पौध रोपण सामग्री उत्पादन (संख्या में)	प्रशिक्षण (संख्या में)
सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस, चण्डी, नालन्दा	64,06,671 (सब्जी के बिचड़ा)	8245
सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस, देसरी, वैशाली	24,21,486 (फलदार पौधों के रोपण सामग्री)	10332

1.8 भूमि एवं जल संरक्षण- बिहार जलछाजन विकास समिति द्वारा भूमि एवं जल संरक्षण संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जिसका प्रमुख उद्देश्य बरसात के मौसम में अधिक से अधिक वर्षा जल का संरक्षण तथा बरसात के बाद सिंचाई एवं पेय जल के रूप में इसका उपयोग, भूमिगत जल स्तर में सुधार, भू–क्षरण की रोकथाम, मिट्टी नमी का संरक्षण तथा फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि लाकर किसानों की आमदनी में वृद्धि लाना है। भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार तथा बिहार जलछाजन विकास समिति द्वारा राज्य में कतिपय योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसकी उपलब्धियों से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	संरचना का नाम	जलछाजन विकास (संख्या)	सृजित सिंचाई क्षमता (हे० में)
1	पक्का चेक डैम	1590	7950
1	वाटर हार्वेस्टिंग टैंक	5320	12608.40
2	फार्म पॉण्ड	1731	1973.32
3	फिल्ड बंडिंग	3128	00.00
4	सामुदायिक तालाब का जीर्णोद्धार	83	207.50
5	पइन का जीर्णोद्धार	468	1170

क्र०सं०	संरचना का नाम	जलछाजन विकास (संख्या)	सृजित सिंचाई क्षमता (हे० में)
6	आहर का जीर्णोद्धार	6363	30815
8	कच्चा चेक डैम	979	1106.29
9	साद अवरोधक बाँध	4253	12036
10	कुँआ	1222	611
11	अन्य (नलकूप इत्यादि)	6500	32500
कुल		31637	100977.51

1.9 **कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार–** कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। वर्ष 1905 में पूसा, समस्तीपुर में कृषि अनुसंधान का जन्म हुआ था। राज्य सरकार के लगातार प्रयास से राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को वर्ष 2016 में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिणत किया गया। राज्य में पहले अन्तर्राष्ट्रीय कृषि शोध संस्थान के रूप में बॉरलॉग इन्स्टीच्यूट फॉर साउथ एशिया की स्थापना वर्ष 2011 में पूसा में की गयी। राज्य सरकार द्वारा कृषि शिक्षा एवं शोध के अनेक संस्थानों की स्थापना की गयी। जितने कृषि शिक्षा एवं शोध संस्थान आजादी के बाद से वर्ष 2005 तक थे, उनसे भी अधिक संस्थान वर्ष 2005 से 2022 की अवधि में स्थापित किये गये।

कृषि रोड मैप के पूर्व से कृषि एवं सम्बद्ध विषय के महाविद्यालय	कृषि रोड मैप की अवधि में स्थापित कृषि एवं सम्बद्ध विषय के महाविद्यालय
1. बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर	1. उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय, नालंदा
2. तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढ़ोली, मुजफ्फरपुर	2. मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, सहरसा
3. मत्स्यकी महाविद्यालय, ढ़ोली, मुजफ्फरपुर	3. वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमरांव
4. कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	4. भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया
5. सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	5. डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज
6. आधार विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	6. वानिकी महाविद्यालय, मुंगेर
7. पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	7. कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा
8. संजय गाँधी जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पटना	8. कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सबौर
	9. कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, पटना
	10. वानिकी एवं उद्यानिकी महाविद्यालय, मोतिहारी
	11. मत्स्यकी महाविद्यालय, किशनगंज
	12. पशु चिकित्सा महाविद्यालय, किशनगंज

कृषि रोड मैप के पूर्व से कृषि एवं सम्बद्ध विषय के विश्वविद्यालय	कृषि रोड मैप की अवधि में स्थापित कृषि एवं सम्बद्ध विषय के विश्वविद्यालय
1. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (सम्प्रतिः डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा)	1. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर 2. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

उपर्युक्त प्रकार से वर्ष 2005 तक सबौर तथा ढ़ोली में 2 कृषि महाविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय तथा सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, पटना में पशु चिकित्सा महाविद्यालय एवं संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सहित कुल 08 कृषि एवं सम्बद्ध विषयों के महाविद्यालय स्थापित किये गये थे। वर्ष 2006 के बाद 12 नये कृषि/सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्थापना की गयी। सहरसा, पूर्णियाँ, किशनगंज तथा डुमराँव में 4 नये कृषि महाविद्यालय स्थापित हुए। नूरसराय में नया उद्यान महाविद्यालय तथा किशनगंज में एक नया मत्स्यिकी महाविद्यालय तथा पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित हुआ। सबौर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, आरा में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय तथा पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय स्थापित किये गये हैं। सबौर में एक नये कृषि विश्वविद्यालय तथा पटना में एक नये पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर की कृषि शिक्षा ही नहीं राज्य में पहली बार वर्ष 2015 से उच्च विद्यालय के स्तर पर कृषि शिक्षा की शुरूआत की गयी। आई.एससी. (कृषि) उत्तीर्ण छात्रों के लिए बी.एससी. (कृषि/उद्यान) में 50 प्रतिशत सीट आरक्षित करने वाला बिहार पहला राज्य बना। कृषि शिक्षा के प्रति मेधावी छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्नातक कक्षा में नामांकित सभी छात्रों को स्टाइपेंड देने की शुरूआत की गयी।

कृषि अनुसंधान परिणामों को प्रयोगशाला से किसानों के खेत तक पहुँचाने के लिए कृषि प्रसार तंत्र में ढ़ाँचागत परिवर्तन किया गया। प्रत्येक पंचायत में एक किसान सलाहकार तथा दो पंचायत पर एक कृषि स्नातक को कृषि समन्वयक नियुक्त किया गया। कृषि सेवा का पुनर्गठन किया गया तथा आवश्यकता आधारित पद सृजित किये गये। साथ ही कृषि विभाग के सभी कोटियों में सहायक निदेशक स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई प्रखंड, जिला, प्रमंडल एवं राज्य मुख्यालय स्तर पर नये कृषि भवन का निर्माण किया गया। जिलों में कृषि प्रौधोगिक प्रबंध अभिकरण (आत्मा) तथा राज्य मुख्यालय में बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) स्थापित किया गया। पंचायतों में किसान चौपाल, किसान पाठशाला लगाकर किसानों को प्रशिक्षित करने का चलन शुरू हुआ। श्री विधि से धान की खेती, धान की सीधी बुआई तथा जीरो टिलेज से गेहूँ उत्पादन तकनीक का बड़े स्तर पर किसानों के खेत में प्रत्यक्षण लगाया गया। बामेती एवं आत्मा के माध्यम से कृषि रोड मैप की अवधि में 17.57 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया, 1.18 लाख प्रत्यक्षण आयोजित किये गये, 7.66 लाख किसानों का परिभ्रमण महत्वपूर्ण कृषि संस्थानों में किया गया, 21 हजार से अधिक कृषक हित समूह बनाये गये, जिसमें 4.66 लाख किसान लाभन्वित हुए, महिलाओं के लिए 5337 खाद्य सुरक्षा समूह का गठन हुआ, जिसमें 1.32 लाख किसान सदस्य हैं। 18572 किसान पाठशाला का आयोजन हुआ, जिससे 3.13 लाख किसान लाभान्वित हुयें। 9529 युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया, 8160 इनपुट डीलर को प्रशिक्षित किया गया।

2. पशु एवं मत्स्य संसाधन

राज्य की अधिकांश आबादी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पशुपालन, गव्य एवं मत्स्य कार्य से जुड़ी हुई है। राज्य सरकार इन क्षेत्रों के व्यापक विकास हेतु दृढ़ संकल्पित है। राज्य के सतत विकास में अहम भूमिका निभाते हुए विभाग द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किये गए हैं एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की गयी हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

➢ **पशुजनित उत्पाद में उपलब्धि :–**

कृषि रोड मैप के तहत पशुपालन/मत्स्यपालन/गव्य पालन में विभिन्न योजनाओं/नवाचारों के द्वारा सभी प्रक्षेत्रों में उत्तरोतर वृद्धि संभव हो पायी है। कृषि रोड मैप के पूर्व प्रति वर्ष दुग्ध का उत्पादन 57.7 लाख मीट्रिक टन था जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020–21 में 115 लाख मीट्रिक टन हो गया है। अंडा का उत्पादन वर्ष 2007–08 में 10667 लाख प्रतिवर्ष था जो बढ़कर वर्ष 2020–21 में 30132 लाख प्रतिवर्ष हो गया है। मांस का उत्पादन वर्ष 2007–08 में 1.80 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष था जो वर्ष 2020–21 में 3.97 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

➢ **पशुओं में टीकाकरण :–**

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कृषि रोड मैप में पशुओं में टीकाकरण क्रमशः 520 लाख, 1780 लाख, एवं 2634 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 664.50 लाख, 766 लाख एवं 2317 लाख पशुओं का टीकाकरण (एफ०एम०डी०, एच०एस०बी०क्यू० कम्बाईन्ड, ब्रुसेल्ला एवं पी०पी०आर०) किया गया है, इससे पशुओं में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों को रोका जाना संभव हुआ।

➢ **कृत्रिम गर्भाधान :–**

पशुओं में नस्ल सुधार एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालित है। द्वितीय एवं तृतीय कृषि रोड मैप में क्रमशः 250 लाख एवं 205 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधन लक्ष्य के विरूद्ध 124.9 लाख एवं 204 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया है।

➢ **मुर्गी विकास योजना :–**

कृषि रोड मैप के तहत 123 लेयर पॉल्ट्री फार्म की स्थापना एवं 119 ब्रायलर पॉल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना पर अनुदान दिया गया।

➢ **बकरी विकास योजना :–**

कृषि रोड मैप के तहत 854 बकरी फार्म की आधारभूत संरचना पर लाभुकों को अनुदान दिया गया।

- **गोशाला विकास योजना :–**

  कृषि रोड मैप में राज्य के निबंधित गोशालाओं को सहायक अनुदान देकर मॉडल गोशाला के रूप में विकसित करने हेतु कुल 65 गोशालाओं को सहायक अनुदान की राशि उपलब्ध करायी गयी।

- **प्रशिक्षण :–**

  प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कृषि रोड मैप में वेट एवं पारावेट को प्रशिक्षण क्रमशः 800, 700 एवं 1500 लक्ष्य के विरूद्ध 880, 1111 एवं 3201 वेट एवं पारावेट को प्रशिक्षण दिया गया।

- **राज्य के मत्स्य उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति :–**

  मत्स्य प्रक्षेत्र में विभिन्न प्रकार की योजनाओं यथा उन्नत बीज, नया तालाब, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, राज्य के अन्दर तथा राज्य के बाहर प्रशिक्षण, नयी तकनीकों के समावेशन द्वारा मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है। कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन से पहले राज्य का मत्स्य उत्पादन 2.88 लाख मी०ट० था। कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के पश्चात राज्य का वर्तमान मत्स्य उत्पादन 7.62 लाख मी०ट० है तथा पूरे देश में मत्स्य उत्पादन में राज्य का स्थान चौथा है। कृषि रोड मैप के तहत अब तक कुल 4136 हे० मात्स्यिकी क्षेत्र को विकसित किया गया। वर्तमान में बहुत ही कम मात्रा में मछली का आयात किया जा रहा है। साथ ही राज्य के बाहर मछली का निर्यात भी किया जा रहा है, जिसमें नेपाल, सिल्लीगुड़ी, लुधियाना, अमृतसर, बनारस, गोरखपुर, देवरिया, कप्तानगंज, राँची तथा गोड्डा आदि प्रमुख शहर है।

- **मत्स्य बीज उत्पादन में भी राज्य आत्मनिर्भरता की ओर :–**

  कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन से पहले राज्य में कुल मत्स्य हैचरियों की सं० 22 थी जो वर्तमान में बढ़कर 199 हो गयी है। इससे राज्य का 75% मत्स्यबीज की आपूर्ति हो रही है।

  कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन से राज्य का मत्स्य बीज उत्पादन (फ्राई) 3409.53 लाख से बढ़कर 19614.42 लाख हो गया है।

- **मत्स्य कृषकों / मछुआरों के लिए गुणवतापूर्ण मत्स्य प्रशिक्षण की व्यवस्था :–**

  कृषि रोड मैप के दौरान में अबतक कुल 43943 मत्स्य कृषकों को मत्स्यपालन का तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से 12489 मत्स्य कृषकों को राज्य के बाहर यथा काकीनाड़ा, सी.आई.एफ.ई. कोलकाता, बैरकपुर, भुवनेश्वर, पंतनगर आदि स्थानों पर तथा 29660 मत्स्य कृषकों को राज्य के अन्दर प्रशिक्षण दिया गया है।

- **मत्स्य प्रक्षेत्र में नवीनतम तकनीकी का समावेश :–**

  नवीनतम तकनीक यथा बायोफ्लॉक (364), मत्स्य फीड मील अधिष्ठापन, आईस प्लांट अधिष्ठापन से भी मत्स्यपालन की बढ़ावा दिया जा रहा है।

➢ **प्रसार तंत्र का सुदृढ़ीकरण :—**

कृषि रोड मैप अवधि के दौरान ही (वर्ष 2022) राज्य में 329 मत्स्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिससे तकनीकी ज्ञान का समावेशन तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी।

➢ **वर्ष 2022 में ''जलाशय मात्स्यिकी नीति—2022'' का प्रख्यापन :—**

इससे जल संसाधन के अधीन उपलब्ध 37 जलाशयों में **''मात्स्यिकी अधिकार''** पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य प्रभाग) को प्राप्त।

➢ **गव्य निदेशालय एवं कॉम्फेड:—**

वर्ष 2008—09 की अवधि में राज्य का दुग्ध उत्पादन 5994 हजार मीट्रिक टन था, जो राज्य सरकार की सकारात्मक नीतियों के फलस्वरूप 2020—21 में 11502 हजार मीट्रिक टन हो गया अर्थात राज्य के दुग्ध उत्पादन में 5.67 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई है एवं इस अवधि में दुग्ध सहकारी क्षेत्र का दुग्ध संग्रहण जो वर्ष 2008—09 में 416.71 हजार किलो प्रतिदिन था, वर्ष 2020—21 के अंत में बढ़कर 1459.77 हजार किलो प्रतिदिन हो गया, जिसके अनुसार औसत वृद्धि दर 11.0 प्रतिशत प्रति वर्ष रही।

बिहार स्टेट मिल्क को—ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 (कॉम्फेड), पटना द्वारा दुग्ध उत्पादकों को ग्रामस्तरीय सहकारी समितियों के माध्यम से उन्हें गाँव में ही दूध के विपणन के साथ—साथ उनके पशुओं हेतु आवश्यक तकनीकी आदान भी उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य के दुग्ध उत्पादन में हुई वृद्धि राज्य सरकार द्वारा पशु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुविधाओं के व्यापक विस्तार के साथ—साथ समग्र गव्य विकास योजना के तहत पशुधन की संख्या में वृद्धि के प्रयासों एवं दूध के विपणन के सुविधाओं की उपलब्धता के परिणाम स्वरूप संभव हो पायी है।

➢ **राज्य में क्रियान्वित तीन रोड मैप 2008—2023 के दौरान :—**

- ✓ सहकारी क्षेत्र के दुग्ध संग्रहण में तीन गुना वृद्धि। (कृषि रोड मैप पूर्व— 4.79 लाख किलो/दिन, वर्तमान में— 16.05 लाख किलो/दिन)
- ✓ दुग्ध विपणन में तीन गुना वृद्धि। (कृषि रोड मैप पूर्व— 5.75 लाख लीटर/दिन, वर्तमान में— 61 लाख लीटर/दिन)
- ✓ डेयरी संयंत्रों की क्षमता में चार गुना वृद्धि। (कृषि रोड मैप पूर्व— 8.45 लाख लीटर/दिन, वर्तमान में— 40.55 लाख लीटर/दिन)
- ✓ महिला समितियों की संख्या में चार गुना वृद्धि। (कृषि रोड मैप पूर्व— 6585, वर्तमान में — 27642)
- ✓ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या में पाँच गुना वृद्धि दर्ज की गयी है। (कृषि रोड मैप पूर्व— 1119, वर्तमान में— 5503)

➢ समग्र गव्य विकास योजना के तहत अभी तक कुल 64,220 डेयरी इकाईयों की स्थापना हेतु अनुदान दिया गया है।

➢ कृषि रोड मैप के दौरान में अब तक कुल 67289 गव्य कृषकों को राज्य के बाहर यथा करनाल, सिल्लीगुडी, नागपुर आदि स्थानों पर तथा राज्य के अन्दर विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में गव्यपालन का तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है।

3. सहकारिता क्षेत्र

➢ कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन में सहकारिता विभाग की भूमिका किसानों के लिए फसल चक्र की समग्र आवश्यकताओं यथा कृषि उपादान (खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि साख आदि), भंडारण क्षमता का सृजन, कृषि उपकरण बैंक की स्थापना, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, खाद्यान्नों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की उपलब्धता तथा सहकारी प्रक्षेत्र में संस्थागत विकास हेतु प्रशिक्षण के रूप में परिभाषित की गई है। इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के संदर्भ में सहकारिता विभाग के द्वारा प्रशंसनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की गई है।

➢ पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण–सह–कार्यालय की स्थापना से सहकारी संस्थाओं को भौतिक पहचान मिलने के साथ–साथ व्यवसाय विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राज्य के कुल 8984 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में से 6781 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम–सह–कार्यालय निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसके माध्यम से लगभग 14 लाख एम॰टी॰ भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है। साथ ही 03 लाख एम॰टी॰ भंडारण क्षमता का सृजन प्रक्रियांतर्गत है। भंडारण क्षमता के सृजन के परिणामस्वरूप सहकारी समितियों के माध्यम से खाद, जनवितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 468 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में राईस मिल की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से अधिप्राप्त धान की मिलिंग कर राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति की जा रही है।

➢ राज्य सरकार के द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए खाद्यान्न अधिप्राप्ति (धान एवं गेहूँ) का कार्य पैक्सों एवं व्यापार मंडलों को सौंपा गया है। खाद्यान्न अधिप्राप्ति वर्ष 2021–22 में 6.42 लाख किसानों को 44.90 लाख एम॰टी॰ धान की अधिप्राप्ति के विरूद्ध 8710 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। वर्तमान अधिप्राप्ति वर्ष 2022–23 में 5.77 लाख किसानों को 42.04 लाख एम॰टी॰ धान की अधिप्राप्ति के विरूद्ध कुल 8577 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के क्षेत्र में सहकारी समितियों की सघन एवं सार्थक भागीदारी के फलस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि हुई है तथा बाजार की अनिश्चितताओं पर काबू पाने में सहायता मिली है।

➢ राज्य के सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के सदस्य किसानों के बीच अल्पकालीन ऋण वितरण का कार्य किसान क्रेडिट कार्ड (के॰सी॰सी॰) के माध्यम से किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर भुगतेय ब्याज दर 9 प्रतिशत है, जिसपर ब्याज में 2 प्रतिशत अनुदान तथा समय पर ऋण भुगतान हेतु 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के सहकारी बैंकों के द्वारा 47399 किसानों के बीच 148.97 करोड़ रूपए की राशि अल्पकालीन कृषि ऋण के रूप में वितरित की गई है। सहकारी बैंकों के द्वारा अधिप्राप्ति से संबंधित वित्तीय आवश्यकताओं की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा रही है। राज्य के सभी सहकारी बैंक आधुनिक तकनीक प्लेटफॉर्म पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं।

- लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ सुनिश्चित कराने तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु सहकारिता विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का क्रियान्वयन जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के 2927 चयनित पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 2899 पैक्सों में कुल 10620 संयंत्रों का क्रय किया जा चुका है तथा 1750 संयंत्रों का क्रय प्रक्रियान्तर्गत है।

- बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2018 से राज्य में लागू है। उक्त योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित रैयत एवं गैर रैयत किसानों को फसल क्षति की स्थिति में लाभान्वित किया जाता है। अब तक कुल 25.54 लाख किसानों के द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया गया है, जिसके तहत उन्हें 1525.87 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है।

- राज्य के सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने एवं ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण एवं उचित मूल्य पर सब्जी की आपूर्ति करने के उद्देश्य से बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना विभाग द्वारा संचालित है। इसके तहत 20 जिलों के 300 प्रखंडस्तरीय प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों में 32411 सदस्य आच्छादित है। अब तक सब्जी समितियों द्वारा 38636.13 एम॰टी॰ सब्जी का व्यवसाय कर 66.59 करोड़ रूपए का टर्न ओवर किया गया है।

- राज्य के पैक्सों को बहुद्देश्यीय व्यावसायिक संस्था के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा पैक्सों के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसके फलस्वरूप पैक्सों के कार्य–कलाप में पारदर्शिता आएगी तथा व्यवसायिक विविधीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। विभाग की योजना है कि राज्य के पैक्सों में व्यवसाय का विविधीकरण इस प्रकार किया जाए कि पैक्स कृषि चक्र की समग्र व्यावसायिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र की गैर–कृषि व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

- सहकारिता विभाग के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में ससमय एवं समग्र जानकारी उपलब्ध कराने तथा इन योजनाओं के संबंध में शिकायतों के ससमय निवारण हेतु विभाग के द्वारा टॉल फ्री कॉल सेंटर–''सुगम'' (1800 1800 110) की स्थापना की गई है। अधिप्राप्ति व्यवसाय, बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

4. उद्योग

मक्का प्रसंस्करण की क्षमता में बढ़ोत्तरी

- ✓ राज्य में प्रति वर्ष मक्का प्रसंस्करण क्षमता में 3.54 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोत्तरी हुई है।
- ✓ एस०आई०पी०बी० के तहत 92.38 करोड़ के निवेश मूल्य और 2.08 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की कुल प्रसंस्करण क्षमता के साथ 4 मक्का प्रसंस्करण इकाइयाँ पंजीकृत हुई है।

भंडारण क्षमता में वृद्धि

- ✓ भंडारण क्षमता में 3.26 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है।
- ✓ 155.50 करोड़ के निवेश मूल्य और 3.26 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक स्टोरेज क्षमता के साथ एस०आई०पी०बी० के तहत 27 गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ इस अवधि में स्थापित हुई हैं।

राइस मिलिंग की क्षमता में वृद्धि

- ✓ इस अवधि में राज्य में 51 राइस मिल की स्थापना के साथ लगभग 1.5 लाख टन की मिलिंग क्षमता में वृद्धि हुई है।

- ✓ राइस मिलिंग के सह–उत्पाद, राइस ब्रान से तेल निकालने की 2 इकाईयाँ भी स्थापित हुई है। गौरतलब है की राज्य में खाद्य तेलों के उत्पादन माँग के अनुरूप नही है।

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण

- ✓ राज्य में मोतीपुर मेगा फूड पार्क के स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिससें फल एवं सब्जी की प्रसंस्करण को बढावा मिलेगा।
- ✓ राज्य में सॉस, जैम, पिकल, फ्रूट पल्प, डिब्बाबंद (CANNED) फल एवं सब्जी की इकाईयाँ भी स्थापित भी हुई है।

गेहूँ प्रसंस्करण

- ✓ राज्य में 9 आटा मिल्स की स्थापना हुई है, जिससे लगभग 50 हजार टन की अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता स्थापित हुई है। साथ में 7 बडी बेकरी की इकाईयाँ और 1 बिस्किट की इकाईयाँ भी स्थापित हुई है।

5. लघु जल संसाधन

द्वितीय कृषि रोड मैप (2012–17) के अन्तर्गत लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा निम्नांकित कार्य किये गये हैं–

सतही सिंचाई योजनाः– सतही सिंचाई योजना के अन्तर्गत 381 आहर–पईन, 25 वीयर/चेक डैम एवं 704 उद्वह सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया। इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् 2.873 लाख हे0 सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन किया गया।

भूजल सिंचाई योजनाः– भूजल सिंचाई योजना के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों एवं निजी नलकूपों का कार्य किया गया। 2313 राजकीय नलकूपों का जीर्णोद्धार कर 1.85 लाख हे0 सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया गया।

50539 अनुदान आधारित निजी नलकूपों को कार्य अधिष्ठापित करते हुए 2.116 लाख सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया।

तृतीय कृषि रोड मैप (2017–23) के अन्तर्गत लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा निम्नांकित कार्य किये गये हैं–

सतही सिंचाई योजनाः– सतही सिंचाई योजना के अन्तर्गत 963 आहर–पईन, 96 वीयर/चेक डैम एवं 254 उद्वह सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् 2.80 लाख हे0 सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन किया गया।

भूजल सिंचाई योजनाः– भूजल सिंचाई योजना के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों एवं निजी नलकूपों का कार्य किया गया। 2892 राजकीय नलकूपों का जीर्णोद्धार कर 2.31 लाख हे0 सिंचाई क्षमता को पुर्नस्थापित किया गया।

34936 अनुदान आधारित निजी नलकूपों को कार्य अधिष्ठापित करते हुए 0.98 लाख सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया।

भूजल प्रबंधनः– भूजल प्रबंधन अन्तर्गत जल संचयन संरचना यथा तालाब/चेक डैम का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया। कुल 984 संरचनाओं के जीर्णोद्धार के फलस्वरूप 0.215 लाख हे0 सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन किया गया।

इस प्रकार लघु जल संसाधन विभाग द्वारा तृतीय कृषि रोड मैप के तहत कुल 6.31 लाख हे0 सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन किया गया।

6. जल संसाधन प्रक्षेत्र

द्वितीय कृषि रोड मैप (2012–17) की उपलब्धि–

- अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन कर तथा ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन के निर्धारित लक्ष्य 24.94 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध 12.69 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।
- कमाण्ड क्षेत्र विकास हेतु निर्धारित 4.44 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 0.95 लाख हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र का विकास किया गया है।
- बाढ़ से मुक्त करने हेतु कई तटबंधों का निर्माण कर निर्धारित 26.68 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 11.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया गया है।

तृतीय कृषि रोड मैप (2017–23) की उपलब्धि–

- तृतीय कृषि रोड मैप (2017–23) के अंतर्गत प्रावधानित योजनाओं से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन की 10 योजनाएँ पूर्ण कर निर्धारित 6.623 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 1.4771 लाख हे0 सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।
- ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन की 16 योजनाएँ पूर्ण कर निर्धारित 4.238 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 1.868 लाख हे0 ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन किया गया है।
- कमाण्ड क्षेत्र विकास हेतु निर्धारित 5.00 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 0.196 लाख हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र का विकास किया गया है।
- बाढ़ से मुक्त करने हेतु 138.78 कि0मी0 तटबंध का निर्माण कर निर्धारित 15.349 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 3.414 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया गया है।

बिहार राज्य में मध्यम एवं वृहत सिंचाई परियोजनाओं से अधिकतम 53.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित हो सकेगी। जिसमें वित्तीय वर्ष 2021–22 में 37.2263 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है, जिससें 28.2253 लाख हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध कराई गई है।

7. ऊर्जा प्रक्षेत्र

वर्ष 2008 से 2023 के बीच तीन कृषि रोड मैपों के अधीन ऊर्जा विभाग को निम्नलिखित लक्ष्य दिये गये जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से निजी नलकूपों को विद्युत संबंध प्रदान करना थाः–

- ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के पटवन कार्य हेतु नये विद्युत संबंध प्रदान करने के लिये नये संरचनाओं का निर्माण–यथा पावर सब–स्टेशन, 33 के0भी0 एवं 11 के0भी0 फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एवं एल0टी0 लाईन।
- नये डेडिकेटेड 11 के0भी0 कृषि फीडर का निर्माण।
- कृषि के पटवन हेतु किसानों द्वारा नये स्थापित मोटर पम्प सेटों एवं मौजुदा डीजल पम्प सेटों को विद्युत चालित पम्प सेटों में बदलने के उपरांत नये विद्युत संबंध प्रदान करना।

सरकारी नलकूपों को पूर्व से ही राज्य योजना के अन्तर्गत विद्युत संबंध प्रदान किये जाते रहे है।

विद्युत संबंध प्रदान करने हेतु बड़े पैमाने पर संरचना का निर्माण दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी0डी0यू0जी0जे0वाई0) एवं मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के अन्तर्गत किये गये, जो निम्नलिखित हैः–

- पावर सब–स्टेशन–292
- ट्रांसफार्मर–92,290
- डेडिकेटेड कृषि फीडर–1,354

संरचनाओं के निर्माण के साथ–साथ विद्युत संबंध प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया गया। इस कार्य को पारदर्शिता के साथ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में जून, 2019 में पूरे राज्य में अखबारों में विज्ञापन देते हुए कैम्प के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये गये। पूर्व से प्राप्त एवं जून, 2019 तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या–2,61,546 थी एवं यह भी निर्णय लिया गया था कि आवेदकों को नये विद्युत संबंध प्रदान करने के क्रम में विकसित की गई संरचना के अन्तर्गत पड़ने वाले नये इच्छुक किसानों को भी विद्युत संबंध दिये जायेंगे। वर्त्तमान में अबतक (01.02.2023) कुल 2,74,000 से अधिक इच्छुक किसानों को पटवन के कार्य हेतु स्थापित विद्युत पम्प सेटों को विद्युत संबंध दिये जा चुके हैं।

राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने के फलस्वरूप इसके पटवन हेतु किसानों को लगभग 90 प्रतिशत अनुदान देते हुए सिर्फ 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही भुगतान देय है।

लक्ष्य की प्राप्ति के लिये ऊर्जा विभाग ने अपनी ओर से योजनाओं को बनाते हुए इसका सफल कार्यान्वयन किया है।

तीसरे कृषि रोड मैप की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में 291 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण किया गया, 1354 पृथक कृषि फीडर का निर्माण किया गया, 92290 नये ट्रॉन्सफॉर्मर अधिष्ठापित किये गये तथा 2.59 लाख कृषि कार्य के लिए सिंचाई हेतु नये विद्युत सम्बन्ध प्रदान किया गया।

8. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को कृषि रोड मैप 2012–2017 के अनुसार विभाग को वर्ष 2017 तक राज्य के 15 प्रतिशत भू–भाग पर **हरित आच्छादन** करने का लक्ष्य दिया गया था। राज्य में **हरित आच्छादन** को 9.79 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग ने वर्ष 2012–17 के मध्य 23.95 करोड़ पौधों द्वारा वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा विभागीय भूमि, सरकारी भूमि तथा कृषि वानिकी के रूप में किसानों की रैयती भूमि पर 18.47 करोड़ वृक्षारोपण किया गया।

कृषि रोड मैप 2017–2023 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को वन क्षेत्रों के बाहर वनावरण में 2 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य दिया गया है। इसी लक्ष्य के अनुरूप कृषि रोड मैप 2017–23 को प्रस्तावित किया गया जिसमें 18.10 करोड़ वृक्षारोपण लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 16.10 करोड़ वृक्षो का रोपण किया गया है।

बिहार राज्य में कृषि रोड मैप II एवं III की अवधि में वनावरण एवं हरित आच्छादन की स्थिति

देश में वनों की स्थिति का आकलन वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रत्येक दो वर्ष पर भारतीय वन स्थिति प्रतिवेदन (ISFR) को प्रकाशित कर किया जाता है।

वर्ष 2019 एवं 2021 तक प्रकाशित वन स्थिति प्रतिवेदनों के अनुसार राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण (Forest cover एवं Tree cover) का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र०	ISFR प्रकाशन वर्ष	वन आवरण (वर्ग कि०मी०)	हरित आवरण (वर्ग कि०मी०)	वन एवं हरित आवरण (वर्ग कि०मी०)	राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में वन वृक्ष आवरण का प्रतिशत
1	2019	7306	2003	9309	9.9
2	2021	7381	2341	9722	10.3
वन आवरण और वन के बाहर वृक्ष (टी.ओ.एफ.) वर्ग कि.मी. में					

Source: ISFR

भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा प्रत्येक 02 वर्ष के अन्तराल पर किया जाने वाला आकलन Satellite के LISS-III Camera के चित्रों के आधार पर किया जाता है, जिसका Minimum MappableUnit (MMU) एक हे० होता है। अधिसूचित वन क्षेत्र के बाहर के वृक्ष किसानों की भूमि के छोटे–छोटे टुकड़ों अथवा सड़क/नहर के किनारे होते है, जिनका समान्यता रकबा एक हे० से कम होता है और इसलिये एक हे० Minimum MappableUnit (MMU) वाले Camera के चित्रों में उनको दर्जा पाना मुमकिन नहीं होता है। इसके आलोक में राज्य द्वारा High Resolution Satellite Camera पर आधारित वृक्ष आवरण का आकलन भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून से करवाने के निर्णय के क्रम में वर्ष 2019 में FSI द्वारा High Resolution Satellite Camera LISS-IV के (Minimum MappableUnit-0.04Ha) चित्रों के आधार पर राज्य का हरित आवरण निम्न प्रकार आँका गया हैः–

वर्ष	हरित आवरण (sq.kms.)	प्रतिशत
2019	13896	14.75

Source:DEFCC,GoB

कृषि रोड मैप II एवं III में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु क्रियान्वित गतिविधियाँ / रणनीति

- वनावरण एवं सघनता अभिवृद्धि
- जैव विविधता संरक्षण
- वन क्षेत्रों में मृदाजल संरक्षण कार्य
- वनों के बाहर पथ तट, नहर तट, शहरी वृक्षारोपण एवं विभिन्न दफ्तरों में वृक्षारोपण
- उद्यान विभाग से प्राप्त पौधशालाओं का विस्तार
- किसानों एवं जीविका समूहों के द्वारा पौधशालाओं की स्थापना
- वृहत स्तर पर पॉपलर प्रजातियों के साथ कृषि वानिकी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियों के साथ कृषि वानिकी
- वृक्षारोपण में जीविका दीदियों, विभिन्न संस्थानों, प्रतिष्ठानों, केन्द्रीय पैरामीलीटरी बलों, गैर–सरकारी संस्थानों, विभागों एवं अन्य हितधारकों को शामिल किया जाना।

विभागीय योजनायें

- जल–जीवन–हरियाली
- प्राकृतिक वनों का विकास
- इको पर्यटन एवं पार्क का विकास
- प्राकृतिक वन क्षेत्र से बाहर वानिकी
- प्रदूषण नियंत्रण
- प्लांट टिशू कल्चर लैब

कृषकों से जुड़ी योजनायें

- कृषि वानिकी – अन्य प्रजाति योजना
- कृषि वानिकी –पॉप्लर (ई0 टी0 पी0) योजना
- मुख्यमंत्री निजी ''पॉप्लर पौधशाला'' योजना
- मुख्यमंत्री निजी पौधशाला –अन्य प्रजातियों के पौधों के लिए किसानों एवं जीविका दीदियों की पौधशालायें

कृषि रोड मैप II एवं III की अवधि में भौतिक उपलब्धि

कृषि रोड मैप 2012–17 अन्तर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि (लाख पौधे)	लक्ष्य	उपलब्धि
	2395.00	1847.16

कृषि रोड मैप 2017–2023 अन्तर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि की विवरणी

सूचकांक	इकाई	2017–23	
		लक्ष्य	उपलब्धि
अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	लाख पौधे	847	318.26
नदी तटबंध		15	8.69
नहर तटबंध		60	57.74
पथ निर्माण विभाग के पथ		38	52.02
शहरी वानिकी		20	8.68
कृषि वानिकी		530	504.13

मानरेगा	लाख पौधे	–––	376.1
वाह्य स्त्रोत			13.26
बागवानी मिशन			5.72
कुल		1510	1344.61
वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिनांकः 31.03.2023 तक)		लक्ष्य	उपलब्धि
		335	288.32
वर्ष 2017–23 (31.03.2023 तक)		1845	1632.93

बिहार सरकार के द्वारा **"जल–जीवन–हरियाली अभियान"** की शुरूआत वर्ष 2019 से की गयी है। जल–जीवन–हरियाली अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप पौधारोपण, जल संरक्षण, एवं पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जन मानस को जागरूक कर एवं उन्हें पौधारोपण में शामिल करने तथा राज्य में हरियाली आवरण को बढ़ाने के साथ साथ कृषि वानिकी के माध्यम से किसानों की खेती से आमदनी में वृद्धि के उद्देश्य से वृहत् पैमाने पर पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया।

गारलैंड ट्रेंचिंग

- विभाग द्वारा पौधारोपण के साथ–साथ मृदा–सह–जल संरक्षण के कार्य किये जा रहे हैं।
- मृदाजल संरक्षण कार्यों अन्तर्गत वन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ऊँचाई वाले क्षेत्रों में Contour Trenches, gully plugging विभिन्न जलधाराओं पर बाँध इत्यादि का निर्माण कर वन क्षेत्रों के पानी को वन क्षेत्रों में ही रोककर रखने का कार्य किया जाता है, जिससे वन क्षेत्रों में भूमि में नमी की वृद्धि होती है जो इस क्षेत्रों में किये जा रहे वृक्षारोपणों की वृद्धि में सहायक होती है।
- राज्य के **8 वन प्रमंडलों** में Garland Trenching की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए **669950** घन मीटर से अधिक वर्षा जल संग्रहण करने की व्यवस्था की गई है।

प्रशिक्षण–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागके पहल पर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (आई0सी0एफ0आर0ई0) द्वारा हल्दवानी, पंत नगर एवं झाँसी में किसानों को पौधशाला एवं कृषि वानिकी के अन्तर्गत लगाये जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के पौधों का मानक संबंधित प्रशिक्षण निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है।

शोध – विभाग द्वारा राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र तथा मृदा के अनुसार शीशम, सैलिक्स तथा पॉप्लर प्रजाति के पौधों के लिए ICFRE के माध्यम से शोध कार्य कराया गया।

9. राजस्व एवं भूमि सुधार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आम किसानों के हित में पूर्व के कृषि रोड मैप में प्रस्तावित योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया जिसकी उपलब्धियां निम्नलिखित है :–

- **विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम :–** राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के अंतर्गत सरकार की महत्त्वकांक्षी विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के तहत् राज्य के सभी 38 जिलों में हवाई फोटोग्राफी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम प्रथम चरणमें 20 जिलों के 89 अंचल के 4989 ग्रामों में संचालित किया जा रहा है। विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के तहत् वर्त्तमान में 20 जिलों के 4833 ग्रामों में किस्तवार कार्य, 2318 ग्रामों में खानापुरी कार्य, 1311 ग्रामों में L.P.M वितरण, 793 ग्रामों में प्रारूप प्रकाशन तथा 259 ग्रामों में अंतिम प्रकाशन का कार्यपूर्ण कर लिया गया है।

- **राजस्व दस्तावेजों के संरक्षण के लिए आधुनिक अभिलेखागारों का क्रियान्वयन :–**राजस्व दस्तावेजों को सुरक्षित रखने तथा किसानों की दस्तावेजों तक सुलभ पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत राज्य 534 अंचलों में441 अंचलों में भवन निर्माण कार्य पूर्ण है। सभी 441 अंचलों को चिन्हित कर प्रति अंचल 16,10,000/– रूपये आवंटित किया गया है। वर्त्तमान में 441 अंचलों में 300 अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार शुभारंभ की स्थिति में है।

- **जमाबंदी पंजी का कम्प्युटरीकरणः–**जमाबंदी पंजी का कम्प्युटरीकरण से आम किसानों को पारदर्शिता और घर बैठे अपने भूमि की जानकारी प्राप्त होती है। जमाबंदी को शत–प्रतिशत ऑनलाइन कराया जा चूका है जिसका लाभ दिसंबर 2017 से राज्य के सभी अंचलों के किसानों/नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार ऑनलाइन लगान भुगतान एवं ऑनलाइन भूमि दखल–कब्ज़ा प्रमाण पत्र की भी सुविधा सभी अंचलों में उपलब्ध है। दाखिल–खारिज का आवेदन से लेकर शुद्धि–पत्र निर्गत करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है ताकि किसानों को घर बैठे ही लाभ प्राप्त हो सके।

- **राजस्व मानचित्र का डिजिटाईजेशन एवं डोर स्टेप डिलिवरीः–** राज्य के सभी1,35,865 कैडेस्ट्रल, रिविजनल एवं चकबन्दी मानचित्रों डिजिटाईजेशन पूर्ण कर लिया गया है। किसानोंको सुलभ रूप में राजस्व मानचित्रों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से ऑफलाईन के अतिक्ति बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना के तहत ''डोर स्टेप डिलिवरी'' प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से किसानों को ऑनलाईन ऑडर पर घर बैठे सभी प्रकार के राजस्व मानचित्र उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑनलाईन माध्यम में सितंबर, 2022 से अब तक 8760 नागरिकों को 18200 शीट मानचित्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उपलब्ध कराया जा चुका है।

- **ऑपरेशन भूमि दखल देहानी:—** राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित ऑपरेशन भूमि दखल देहानी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेदखली के मामलों की पड़ताल एवं बेदखल हो गये पर्चाधारियों को निर्धारित समय—सीमा में उन्हें आवंटित भूमि का नियमानुसार कब्ज़ा दिलवाना है। अब तक कुल 17,36,234 पर्चाधारियों में से चिन्हित बेदखल 1,29,116 परिवारों में से कुल 1,08,634 पर्चाधारियों को दखल दिलाया गया है।

- **अभियान बसेरा:—** इस अभियान का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वासरहित महादलित एवं सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराना है। अबतक ऐसे वास भूमि रहित चिन्हित 1,29,889 परिवारों में से 94928 परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराई गई है।

10. ग्रामीण पथ

तृतीय कृषि रोड मैप के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 31884 लक्षित बसावटों में से 28869 बसावटों को अबतक बारहमासी संपर्कता प्रदान कर दी गयी है तथा अवशेष 3015 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है। 28869 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु कुल 29938.18 कि०मी० पथों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा अवशेष 3015 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु 9925.90 कि०मी० पथों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसकी विवरणी निम्नवत् है,

कुल संपर्कता हेतु बसावटों की संख्या	वर्ष 2017 से पूर्व संपर्कित बसावटों की संख्या	वर्ष 2017 से 2023 कृषि रोड मैप—3 अंतर्गत बसावटों की संपर्कता का लक्ष्य	वर्ष 2017 से 2023 तक बसावटों की संपर्कता की उपलब्धि	स्वीकृत एवं निर्माणाधीन बसावटों की संख्या
121069	89185	31884	28869	3015

कुल ग्रामीण पथों की लंबाई (कि०मि०)	वर्ष 2017 से पूर्व संपर्कित ग्रामीण पथों की लंबाई (कि०मि०)	वर्ष 2017 से 2023 कृषि रोड मैप—3 अंतर्गत ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य (कि०मि०)	वर्ष 2017 से 15.02.2023 तक कृषि रोड मैप—3 अंतर्गत ग्रामीण पथों के निर्माण का अद्यतन स्थिति (कि०मि०)	स्वीकृत एवं निर्माणाधीन ग्रामीण पथ की लंबाई (कि०मि०)
119643.96	79779.88	39864.08	29938.18	9925.90

11. भंडारण क्षमता

किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देने तथा बाजार में आपात बिक्री को रोकने के उदेश्य से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग धान, गेहूँ एवं दलहन की अधिप्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य करता है। चतुर्थ रोड मैप में तेलहन अधिप्राप्ति भी प्रस्तावित है। तदनुसार विभाग द्वारा भण्डारण क्षमता में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं।

कृषि रोडमैप	लक्ष्य (ला० मे० टन में)	उपलब्धि (ला० मे० टन में)
द्वितीय कृषि रोड मैप के पहले	2.59	2.52
द्वितीय कृषि रोड मैप (2012—17)	11.14	8.67
तृतीय कृषि रोड मैप (2017—22)	28.28	पूर्ण — 2.51 निर्माणाधीन —0.81

12. गन्ना उद्योग

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम : विभाग द्वारा मुख्य रूप से गन्ना किसानों के हित में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम एवं अन्य ईख विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है। वर्ष 2006–07 में जहाँ मात्र 94000 क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण हुआ था, वहीं गत तीनों कृषि रोड मैप की अवधि में बढ़कर प्रति वर्ष औसतन 5,75,000 क्विंटल प्रमाणित गन्ना बीज का अनुदानित दर पर वितरण किया गया है। इस प्रकार गत तीनों कृषि रोड मैप के लागू होने के बाद मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजनान्तर्गत गन्ना किसानों को अनुदानित दर पर कुल 80.74 लाख क्विंटल उत्तम चयनित प्रभेद का प्रमाणित गन्ना बीज उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त गन्ना किसानों को कीटनाशक दवा, खाद भी अनुदानित दर पर वितरित किये गये हैं तथा इस दौरान एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण/कार्यशाला के माध्यम से लगभग 85000 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही गन्ना किसानों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति हेतु गन्ना फसल के साथ अन्य फसलों यथा–मूंग, मसूर, आलू, धनिया इत्यादि की अंतरवर्ती खेती योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही प्रमाणित गन्ना बीज उत्पादकों को भी प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाये गये हैं।

उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कृषि रोड मैप के पूर्व जहाँ राज्य में कार्यरत चीनी मिलों की कुल पेराई क्षमता 33500 टी0सी0डी0 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 62950 टी0सी0डी0 हो गई है। साथ ही कृषि रोड मैप के प्रारंभ में जहाँ औसत चीनी रिकवरी 9.47 प्रतिशत था, जो वर्तमान में बढ़कर 10.31 प्रतिशत हो गया है एवं इस अवधि में चीनी रिकवरी का अधिकतम प्रतिशत 10.84 रहा है।

कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन से गन्ना किसानों को उन्नत प्रभेद का गन्ना बीज उपलब्ध हो रहा है जिससे गन्ना किसान अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं एवं चीनी मिलों में आपूर्ति कर वर्षवार ईख मूल्य दर में वृद्धि एवं ससमय भुगतान होने से उन्हें अच्छी आय प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त अंतरवर्ती खेती के माध्यम से अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर रहे हैं।

प्रमाणित बीज वितरण की विवरणी निम्नवत् है–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	वितरित प्रमाणित बीज की मात्रा (क्विंटल में)
1	2008-09	400000
2	2009-10	500000
3	2010-11	100000
4	2011-12	41000
5	2012-13	967564
6	2013-14	1450484
7	2014-15	1195857

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	वितरित प्रमाणित बीज की मात्रा (क्विंटल में)
8	2015-2016	446041
9	2016-2017	870432
10	2017-2018	710909
11	2018-2019	421396
12	2019-2020	570457
13	2020-21	123726
14	2021-22	276157
	योग–	**8074023**